62

<u>न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म.प्र.)</u>

R 319-II-17

श्री ... द्वारा आज दि. 23.1.17 को प्रस्तुत
23.1.17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

चक्रपाणि पाण्डेय पिता शंभू प्रसाद पाण्डेय, उम्री– 42 वर्ष, पेशा– खेती, निवासी ग्राम– करौंदिया, तहसील– रामपुर नैकिन, जिला– सीधी (म.प्र.) ———— पुनरीक्षणकर्ता

<u>बनाम</u>

ललुआ बैगा तनय लखुआ बैगा मृतक द्वारा विधिक वारिसान–

1. भुआले बैगा तनय स्वर्गीय ललुआ बैगा उम्री– 43 वर्ष, पेशा– खेती,
2. प्रेमलाल बैगा तनय स्वर्गीय रायसेन बैगा उम्री– 32 वर्ष, पेशा– खेती,
3. गरीबलाल बैगा तनय स्वर्गीय रायसेन बैगा उम्री– 30 वर्ष, पेशा– खेती,
4. बृजभान बैगा तनय स्वर्गीय रायसेन बैगा उम्री– 28 वर्ष, पेशा– खेती,
5. मुसम्मात मानवती विधवा रायसेन बैगा उम्री– 55 वर्ष, पेशा– खेती,
6. श्रीमती बुटौली बैगा पुत्री स्वर्गीय रायसेन बैगा उम्री– 28 वर्ष,पेशा– गृहकार्य,
7. श्रीमती पंचवती पुत्री स्वर्गीय रायसेन बैगा उम्री लगभग– 24 वर्ष, पेशा– गृहकार्य, सभी निवासी ग्राम– करौंदिया राजस्व निरीक्षक मण्डल हनुमानगढ़, तहसील– रामपुर नैकिन, जिला– सीधी (म.प्र.)
8. श्रीमती केमलइया पुत्री स्वर्गीय दामोदर प्रसाद ब्रा0 एवं पत्नी गंगा प्रसाद ब्रा0 उम्री लगभग– 75 वर्ष, पेशा– गृहकार्य, निवासी ग्राम– हनुमानगढ़, तहसील– रामपुर नैकिन, जिला– सीधी (म.प्र.)
9. श्रीमती वसुआ देवी पुत्री स्वर्गीय दामोदर प्रसाद ब्रा0 एवं पत्नी भोला प्रसाद ब्रा0 उम्री– 72 वर्ष, पेशा– गृहकार्य, निवासी ग्राम– धकड़ी / पड़रिया, थाना– कमर्जी, तहसील– चुरहट, जिला– सीधी (म.प्र.)
10. शिवाकान्त पिता स्वर्गीय दामोदर प्रसाद ब्रा0 उम्री– 68 वर्ष, पेशा– खेती, निवासी ग्राम– करौंदिया, तहसील– रामपुर नैकिन, जिला– सीधी (म.प्र.)
11. शंभू प्रसाद पिता स्वर्गीय दामोदर प्रसाद ब्रा0 उम्री– 63 वर्ष, पेशा– खेती, निवासी ग्राम– करौंदिया, तहसील– रामपुर नैकिन, जिला– सीधी (म.प्र.)

चक्रपाणि पाण्डेय

12. श्रीमती माया देवी विधवा पत्नी शंकरदयाल ब्रा0 उम्री– 45 वर्ष, पेशा– खेती निवासी ग्राम– करौंदिया राजस्व निरीक्षक मण्डल हनुमानगढ़, तहसील– रामपुर नैकिन, जिला– सीधी (म.प्र.)

13. शिवकुमार पिता स्वर्गीय जगदीश प्रसाद ब्रा0 एवं माता स्वर्गीय वृन्दवसुआ उम्री लगभग– 63 वर्ष, पेशा– खेती, निवासी ग्राम– हनुमानगढ़, तहसील– रामपुर नैकिन, जिला– सीधी (म.प्र.)

14. भारतलाल पिता स्वर्गीय जगदीश प्रसाद ब्रा0 एवं माता स्वर्गीय वृन्दवसुआ उम्री लगभग– 59 वर्ष, पेशा– खेती, निवासी ग्राम– हनुमानगढ़, तहसील– रामपुर नैकिन, जिला– सीधी (म.प्र.)

15. शत्रुघ्न प्रसाद पिता स्वर्गीय जगदीश प्रसाद ब्रा0 एवं माता स्वर्गीय वृन्दवसुआ उम्री लगभग– 57 वर्ष, पेशा– खेती, निवासी ग्राम– हनुमानगढ़, तहसील– रामपुर नैकिन, जिला– सीधी (म.प्र.)

16. अजीत उर्फ अनिल कुमार पिता जगदीश प्रसाद एवं माता वृन्दवसुआ उम्री– 53 वर्ष, पेशा– खेती, निवासी ग्राम– हनुमानगढ़, तहसील– रामपुर नैकिन, जिला– सीधी (म.प्र.)

————— गैरपुनरीक्षणकर्तागण

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश न्यायालय कलेक्टर जिला– सीधी राजस्व अपील संख्या 56/अपील/2012–13 आदेश दिनांक– 31.12.2016 जिसके अनुविभागीय अधिकारी चुरहट के राजस्व प्रकरण क्रमांक– 1/अ–23/1992–93 में पारित आदेश दिनांक– 10.04.2001 को निरस्त करते हुये ग्राम–करौंदिया, तहसील–रामपुर नैकिन, जिला– सीधी स्थित आराजी पुराना खसरा नंबर 30 रकवा 3.32 एकड़ के जुज रकवा 2.32 एकड़, 31 रकवा 0.28 एकड़, खसरा नंबर– 32 रकवा 3.73 एकड़, खसरा नंबर– 33 रकवा 0.13 एकड़, नया बन्दोबस्ती सर्वे नंबर– 480, 481, 482, 514, 515 के बावत् दर्ज भूमिस्वामियों का नाम विलोपित किया जाकर अकाली बैगा के विधिक वारिसानों का नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया है तथा अकाली बैगा के विधिक

चक्रपाणि पाण्डेय

वारिसानों के नाम अभिलेख संशोधित कराकर मौके से कब्जा दिलाये जाने का आदेश तहसीलदार रामपुर नैकिन को दिया गया है।

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा– 50 म0प्र0 भू– राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर पुनरीक्षण प्रस्तुत किया जा रहा हैः–

1. यह कि ग्राम– करौंदिया, जनरल नंबर– 82 , पूर्व तहसील– गोपदबनास, वर्तमान तहसील– रामपुर नैकिन, जिला– सीधी पूर्व रियासत रीवा पहले राव साहब चुरहट के इलाकेदार स्वर्गीय शिवबहादुर सिंह बघेल के इलाके के अन्तर्गत आने वाला गांव था। ग्राम– करौंदिया, जनरल नंबर–82 , पूर्व तहसील– गोपदबनास, जिला– सीधी स्थित आराजियात पुराना खसरा नंबर– 30 रकवा 3.32 एकड़, पुराना खसरा नंबर– 31 रकवा 0.28 एकड़, पुराना खसरा नंबर– 32 रकवा 3.73 एकड़, पुराना खसरा नंबर– 33 रकवा 0.13 एकड़ तत्कालीन इलाकेदार राव शिवबहादुर सिंह इलाकेदार चुरहट के स्वत्व एवं कब्जे की भूमियां थीं। राव साहब चुरहट स्वर्गीय शिवबहादुर सिंह इलाकेदार चुरहट के द्वारा अपने जीवनकाल में ग्राम– करौंदिया, पूर्व तहसील– गोपदबनास, वर्तमान तहसील– रामपुर नैकिन, जिला– सीधी स्थित दीगर आराजियात के साथ–साथ पुराना खसरा नंबर– 30/3.32 एकड़, 31/0.28 एकड़, 32/3.73 एकड़, 33/0.13 एकड़ का पट्टा पुनरीक्षणकर्ता के पिता मह स्वर्गीय दामोदर प्रसाद पिता बृजकिशोर राम के पक्ष में प्रदान किया गया जिससे गश्ती खसरा तथा खतौनी सन् 1952–53 तथा जमावन्दी सन् 1952–53 में उक्त आराजियात के बावत् पुनरीक्षणकर्ता के पितामह स्वर्गीय दामोदर प्रसाद पिता बृजकिशोर राम का नाम बतौर पट्टेदार एवं काबिजदार दर्ज होता रहा।

2. यह कि उपरोक्त आराजियात पर पुनरीक्षणकर्ता के पितामह दामोदर प्रसाद का स्वत्व एवं कब्जा दखल चला आ रहा था। वर्ष 1962–63 के आसपास उपरोक्त दामोदर प्रसाद के द्वारा आवेदन पत्र दिये जाने पर राजस्व निरीक्षक के द्वारा ग्राम– करौंदिया, जनरल नंबर– 82 तहसील– गोपदबनास, जिला– सीधी के द्वारा नामान्तरण पंजी क्रमांक– 14 पर सूचना दर्ज करके विधिवत जांच करने के पश्चात् उपरोक्त आराजियात के संबंध में इलाकेदार राव साहब चुरहट के द्वारा दिये गये पट्टे एवं खतौनी 1952–53 एवं जमावन्दी सन् 1952–53 की प्रतिलिपि तथा पटवारी का

चक्रपाणि पाण्डेय

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-319-दो/2017 जिला सीधी

चक्रपाणि विरूद्ध ललुआ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-04-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित । उनके द्वारा शीघ्र सुनवाई का आवेदन प्रस्तुत किया गया । आवेदक के निवेदन पर प्ररकण लिया गया । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 56/अपील/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 31-12-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. यह प्रकरण दिनांक 06-05-2019 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु रखा जावे । (बी.एम.शर्मा) सदस्य	